राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उप–खण्ड (पाँच) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के जिलाधीशों को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित अनुसार, अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	भूमि अर्जन का प्रयोजन (2)	निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (3)	सक्षम प्राधिकारी (4)
1.	लोक प्रयोजन	1000 हेक्टेयर तक (अर्थात् 2470 एकड़)	जिलाधीश

No. F4-28/Seven-1/2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (v) of clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, notifies the maximum limit of land to be acquired for public purpose under the said Act by the Collector of the State in their respective jurisdiction, as shown in column (3) of the Schedule below, namely :—

S. No. (1)	The purpose of land acquisition (2)	The area proposed for acquisition of private land (3)	Competent Authority (4)
1.	Public Purpose	upto 1000 hectares (2470 acres)	Collector

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4–28/सात–1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासिन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की [illegible] धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप–जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, भू–अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अभिहित करती है.

No. F4-28/Seven-1/2014.—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 23, 24. 25, 26. 27. 28, 29. 30, 31. 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निजी कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात् :—

(1)	नगरीय क्षेत्र	2.00 हेक्टेयर
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	4.00 हेक्टेयर

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, prescribes the limits of land to be purchased by private company in rural and urban areas as follows, namely :—

(1)	Urban Area	2.00 Hectares
(2)	Rural Area	4.00 Hectares

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) with their respective jurisdiction as Administrator for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (छः) एवं (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	प्रयोजन	व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 5%

(1)	(2)	(3)
2.	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासनिक व्यय	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर का 5%
3.	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन	रुपये 5 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (*i*) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013). State Government, hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Purpose (2)	Costs (3)
1.	Service charges of Land Acqusition	5% of the Compensation
2.	Administrative coste of Rehabilitation and Resettlement.	5% of the Rehabilitation and resettlement compansation.
3.	Social impact assesment study	5 lakh Rupees or actual expenditure, which is more.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 44 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी संभागीय आयुक्त को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, oppoints all Divisional Commissioner within their respective jurisdiction as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 3. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजी. क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा यथा जारी छत्तीसगढ़ कार्य नियम के नियम 13 के अंतर्गत भाग-पांच अनुपूरक अनुदेश के अनुदेश क्रमांक 2क के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, भारसाधक मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 9, 14 एवं धारा 40 की उप-धारा (1) एवं (4) के अधीन भूमि अर्जन से संबंधित मामलों को निराकृत करने के प्रयोजन के लिये संभागीय आयुक्त को पदेन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं तथा एतद्द्वारा निर्देशित करता हूं कि पदेन सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में संभागीय आयुक्त द्वारा उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत निराकृत किये गये मामले, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निराकृत समझे जायेंगे.

हस्ता./-

(प्रेमप्रकाश पाण्डेय)

भारसाधक मंत्री.

Raipur, the 26th May 2014

ORDER

No. F. 4-28/Seven-1/2014.—In exercise of the powers delegated under instruction 2A of Part-V Supplementary Instructions under Rule 13 of the Rule of Business as issued by the Governor under Article 166 of the Constitution of India, I, Prem Prakash Pandey, Minister-in-charge, Revenue and Disaster Management Department, hereby, authorize Divisional Commissioner to act as Ex-officio Secretary of Revenue and Disaster Management Department for the purpose of disposal of cases in respect of land acquisition under Section 9, 14 and sub-section (1) and (4)

of Section 40 of the Right to Fair Compensation and Transpareney in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), and hereby direct that now disposed off cases under above mentioned sections by the Divisional Commissioner as Ex-officio Secretary, Revenue and Disaster Management Department shall be deemed to be disposal by the Government of Chhattisgarh.

Sd/-
(Prem Prakash Pandey)
Minister-in-charge.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014 — ज्येष्ठ 5, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

आदेश

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा यथा जारी छत्तीसगढ़ कार्य नियम के नियम 13 के अंतर्गत भाग-पांच अनुपूरक अनुदेश के अनुदेश क्रमांक 2क के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, भारसाधक मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5, 6, धारा 7 की उप-धारा (1), (3), (4), धारा 8 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 10 की उप-धारा (3), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 12, धारा 15 की उप-धारा (3) एवं धारा 19 के अधीन भूमि अर्जन से संबंधित मामलों को निराकृत करने के प्रयोजन के लिए जिलाधीशों को पदेन उप-सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करता हूं तथा एतद्द्वारा निर्देशित करता हूं कि पदेन उप-सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के रूप में जिलाधीशों द्वारा उपरोक्त उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत निराकृत किये गये मामले, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निराकृत समझे जायेंगे.

हस्ता./-
(प्रेमप्रकाश पाण्डेय)
भारसाधक मंत्री.

Raipur, the 26th May 2014

ORDER

No. F. 4-28 /Seven-1/2014. — In exercise of the powers delegated under instruction 2A of Part-V Supplementary Instructions under Rule 13 of the Rule of Business as issued by the Governor under Article 166 of the Constitution of India, I, Prem Prakash Pandey, Minister-in-charge, Revenue and Disaster Management Department, hereby authorize Collector to act as Ex-officio Deputy Secretary of Revenue and Disaster Management Department for the purpose of disposal of cases in respect of land acquisition under sub-section (1) of Section 4, Section 5, 6, sub-section (1), (3), (4) of Section 7, sub-section (1) and (2) of Section 8, sub-section (3) of Section 10, sub-section (1) of Section 11, Section 12, sub-section (3) of Section 15 and Section 19 of the Right to Fair Compensation and Trasparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), and hereby direct that now disposed off cases under above mentioned sections by the Collector as Ex-officio Deputy Secretary, Revenue and Disaster Management Department shall be deemed to be deemed by the disposal by the Government of Chhattisgrah.

Sd/-
(Prem Prakash Pandey)
Minister-in-charge.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 620] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2014 — अग्रहायण 13, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य की समस्त परियोजनाओं को मिलाकर अर्जित की जाने वाली सिंचित बहु-फसली भूमि का कुल रकबा, राज्य की कुल सिंचित बहु-फसली भूमि के 2% से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the aggregate area of irrigated multi-cropped land to be acquired for all projects in aggregate in the State shall in no case exceed 2% of the total irrigated multi-cropped land in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 10 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य की समस्त परियोजनाओं को मिलाकर अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि का कुल रकबा, राज्य की कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र के 1% से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the aggregate area of agricultural land to be acquired for all projects in aggregate in the State shall in no case exceed 1% of the total net sown area in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 30 की उप-धारा (2) सहपठित प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक (2) के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा :

परन्तु यह कि देय मुआवजा (तोषण एवं ब्याज सहित), राज्य के पुनर्वास नीति, 2007 के प्रावधानों के अनुसार पड़त भूमि के मामले में रु. 6 लाख प्रति एकड़, असिंचित एक फसली भूमि के मामले में रु. 8 लाख प्रति एकड़ एवं सिंचित दो फसली भूमि के मामले में रु. 10 लाख प्रति एकड़ से किसी भी दशा में कम नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 read with entries in column (3) against serial number (2) of the First Schedule of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that in case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 (One) :

Provided that in any case compensation payable including (solatium and interest) shall not be less than Rs. 6 Lacs per acre in case of barren land, less than Rs. 8 Lacs per acre in case of non irrigated single cropped land and Rs. 10 Lacs per acre in case of irrigated double cropped land as per the provision of the Rehabilitation Policy, 2007 of the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी 2016 — माघ 8, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2015. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान कराने के प्रयोजन के लिये, राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" की स्थापना करती है.

No. F 4-47/Seven-1/2015. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, establishes State level "the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority" for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land acquisition, compensation, rehabilitation and resettlement.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक—एफ—4—28 / सात—1 / 2015 नया रायपुर, दिनांक / / 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप—धारा (2) के अंतर्गत लोक प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली भूमि के अर्जन की लागत पूर्णतः या भागतः लिये जाने के संबंध में ।

संदर्भ :— इस विभाग के पत्र कमांक एफ—8—28 / सात—1 / 2015 दिनांक 9.12.2015

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।

2/— सन्दर्भित पत्र द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उप—धारा (2) के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान है, कि भू—अर्जन की अंतिम अधिसूचना तब—तक जारी नहीं जायेगी, जब तक अपेक्षक निकाय द्वारा भू—अर्जन के लागत की पूर्णतः या भागतः ऐसी राशि, जो शासन द्वारा निर्धारित किया जाये, जमा नहीं कर दिया जाता है ।

3/— अतः राज्य शासन एतद् द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत किसी लोक प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली भूमि का अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा(1) के अंतर्गत जारी की जाने वाली अंतिम अधिसूचना के पूर्व, उप—धारा (2) के द्वितीय परन्तुक के तहत् अपेक्षक निकाय से अनुमानित अवार्ड राशि का 80% राशि के स्थान पर अब 10% राशि जमा करायी जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्री.निहालमी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबधन विभाग

—2—

D:yaday/Leter doc

पृ0 क्रमांक–एफ–4–28 / सात–1 / 2015 नया रायपुर, दिनांक 05/5/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव,मान0 मुख्यमंत्री सचिवालय,छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
2. विशेष सहायक मान0मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,मंत्रालय नया रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर ।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. की ओर राजस्व विभाग के वेबसाईड में अपलोड किए जाने हेतु ।
5. गार्ड फाइल हेतु ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

शासकीय मुद्रणालय, रायपुर–245–06/2016–500 बुक